प्राथमिकता / समयबद्ध
संख्या–64 / अड़सठ–3–2021–840 / 2020

प्रेषक,

आर0 वी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ0प्र0 लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 11 फरवरी, 2021

विषय– प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता के संबंध में निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक–शि0नि0(बे0) / 75094–97 / 2020–21, दिनांक–01 फरवरी, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विभागों की सेवाओं को जनहित गारण्टी अधिनियम–2011 में अधिसूचित कराते हुए एण्ड–टू–एण्ड ऑनलाइन प्लेटफार्म पर लाकर ई–डिस्ट्रिक्ट / निवेशमित्र पोर्टल के साथ–साथ मा0 मुख्यमंत्री जी के 'दर्पण' डैशबोर्ड से इण्टीग्रेट कराये जाने के निर्देश के दृष्टिगत मान्यता संबंधी शासनादेश सं0–89 / अरसठ–3–2018–2041 / 2018 दिनांक–11.01.2019 के प्रस्तर–III में उल्लिखित समय–सारिणी को जनहित गारण्टी अधिनियम–2011 के अनुसार संशोधित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथामिक विद्यालयों को मान्यता से संबंधी शासनादेश संख्या–89 / अरसठ–3–2018–2041 / 2018 दिनांक–11.01.2019 प्रस्तर संख्या–III में मान्यता हेतु आवेदन करने और मान्यता प्रदान करने के संबंध में पूर्व में निर्धारित समय–सारिणी को संशोधित करते हुए निम्नवत समय–सारिणी निर्धारित की जाती हैः–

1.	आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि	01 अप्रैल से 31 दिसम्बर
2.	बी0एस0ए0 द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी को निरीक्षण हेतु अग्रसारण।	आवेदन की तिथि से 03 कार्यदिवस में।
3.	खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण व आख्या उपलब्ध कराने हेतु।	आवंटन की तिथि से 10 कार्यदिवस में।
4.	समिति की बैठक प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार को।	
5.	समिति द्वारा किसी आपत्ति की स्थिति में प्रबन्धतंत्र को सूचित करने हेतु।	समिति की बैठक के 03 कार्यदिवस में।

6.	प्रबन्धतंत्र द्वारा आपत्ति के निराकरण हेतु ।	आपत्ति प्राप्त होने के 07 दिवस में।
7.	समिति द्वारा आवेदन पर अन्तिम निर्णय किये जाने हेतु।	आपत्ति का उत्तर प्राप्त होने 05 कार्यदिवस में।
8.	मान्यता प्रदान किये जाने अथवा नहीं किये जाने के प्रबन्ध में प्रबन्धतंत्र को सूचना देने हेतु।	समिति के निर्णय की तिथि से 02 कार्यदिवस में।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0 वी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–64(1)/अड़सठ–3–2021–840/2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–अपर मुख्य सचिव/प्रमख सचिव, वित्त विभाग/कार्मिक विभाग/न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
2–अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3–समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4–समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5–महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
6–राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, उ0प्र0 लखनऊ।
7–निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ।
8–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9–निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
10–निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, उ0प्र0।
11–सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज।
12–अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0, प्रयागराज।
13–समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक/उप शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 (द्वारा शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा)।
14–समस्त प्राचार्य/उप प्राचार्य, डायट, उ0प्र0 (द्वारा शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा)।
15–समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 (द्वारा शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा)।
16–समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 (द्वारा शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा)।
17–समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा)।
18–गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कामता प्रसाद सिंह)
उप सचिव।